प्रेस विज्ञप्ति

डिप्टी रेंजर 5000 रू0 रिश्वत लेते गिरफ्तार

प्रार्थी श्री जगमोहन मांझी, ग्राम कुर्मीभवना, जिला रायगढ़ का निवासी है, झाड़फूंक का कार्य करता है । झाड़फूंक कर जंगल से वापस लौट रहा था जहां उसे आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोड़ा रेंज द्वारा जंगली मुर्गा मारने के केस में जेल भेजने का डर दिखाकर 8,000 रू0 रिश्वत की मांग की गई। आरोपी द्वारा प्रार्थी से 3000 रू0 उसी समय ले लिया गया एवं शेष 5000 रू0 की व्यवस्था कर बाद में देने को कहा गया । प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता था । अतः उसने उक्ताशय की शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में प्रस्तुत की । शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 17.05.2024 को टीम तैयार कर रिश्वत की शेष रकम 5000 रू0 लेते आरोपी मिलन भगत, डिप्टी रेंजर, घरघोड़ा रेंज को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।